ब–अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0डी0 केस सं0– 24 / 19–20

संझला उर्फ संजय हेम्ब्रम बनाम रक्षा हेम्ब्रम

30.08.2022

–: आदेश :–

आवेदक संझला उर्फ संजय हेम्ब्रम पे0–लखन हेम्ब्रम वगैरह, साकिन–मेघचातर अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के द्वारा श्री रक्षा हेम्ब्रम ग्राम प्रधान, मौजा–मेघचातर के विरूद्ध लगान रसीद समय पर निर्गत नहीं करने एवं नशा में मदहोश रहकर रैयतों के साथ अशिष्ट व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए प्रधानी पद से बर्खास्त करने हेतु वाद दायर किया गया है।

उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, मेहरमा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, मेहरमा के पत्रांक–924 / रा0 दिनांक–04.08.2021 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित कर प्रतिवेदित किया गया है कि लगान वसूली करने में अनियमितता का आरोप वैध नहीं है तथा विपक्षी के द्वारा ग्राम प्रधान के विरूद्ध कोई वैध साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन करने एवं अंचल अधिकारी, मेहरमा के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है।

अतः वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

30.08.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

30.08.22

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2022.12.24 15:07:35 +05:30
Location: 192.168.8.108

Scanned with OKEN Scanner